(2011), 2 एस. सी. आर 364

कोला वीरा राघव राव

विरुद्ध

गोरंटाला वेंकटेश्वरा राव और अन्य

(2006 की आपराधिक अपील सं. 1160)

1 फरवरी, 2011

(मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायाधीश)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 300 (1). दायरा निर्णीत धारा 300 (1) संविधान के अनुच्छेद 20 (2) से व्यापक है। अनुच्छेद 20 (2) मात्र यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार अभियोजित व दण्डित नहीं किया जा सकता। धारा 300 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति समान अपराध के लिए अथवा उन्हीं तथ्यों पर भिन्न अपराध के लिए दो बार अभियोजित या दण्डित नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में अभियुक्त को धारा 138 पराक्राम्य अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया गया था। उन्हीं तथ्यों पर उसे पुनः धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता या भारतीय दण्ड संहिता के किसी अन्य प्रावधान के

तहत या किसी अन्य अधिनियम के तहत 1950 के संविधान अनुच्छेद 20 (2) के तहत अभियोजित अथवा दण्डित नहीं किया जा सकता।

पराक्राम्य अधिनियम 1881 धारा 138 दण्ड संहिता 1860 धारा 420

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

दाण्डिक अपील सं. 1160/2006

(आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 07.10.2005 जो दाण्डिक अपील सं. 1581/1999 में तथा दाण्डिक पुनरीक्षण मामला 312/1999 में पारित किया गया।)

वीना माधवन, विनीता शशिधरन (निट कम्पनी की ओर से अभिभाषक) अपीलार्थी की ओर से

रमेष अलंकी (डी. महेश बाबू) प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया।

पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

यह अपील उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के आदेश व निर्णय दिनांक 07.10.2005 दाण्डिक अपील 1581/1999 तथा दाण्डिक पुनरीक्षण मामला 312/1999 में पारित किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी।

जिस निर्णय की अपील की गयी, उसमें समस्त तथ्य विस्तार से दिये गये अतः हम उन तथ्यों को दोबारा यहां उद्धृत नहीं करेंगे सिवाय जहां जरूरी हो।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को पहले से धारा 138 पराक्राम्य अधिनियम 1881 में दोषी घोषित किया जा चुका है तथा उसे दोबारा उन्हीं तथ्यों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 अथवा किसी अन्य तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकता। हमें इस तर्क में सार नजर आता है।

यह देखा जाना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 20 (2) व धारा 300 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता में भिन्नता है। अनुच्छेद 20 (2) कहता है कि

> "किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार अभियोजित या दण्डित नहीं किया जा सकता।"

दूसरी ओर धारा 300 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार:

"एक व्यक्ति जिसे एक बार दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्त कर दिया गया हो उसे दोबारा उसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता।"

1. एक व्यक्ति जिसे सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय ने एक बार अभियोजित किया हो तथा उसे उस अपराध में दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध कर दिया गया हो उसे उक्त दोषसिद्धि / दोषमुक्ति के प्रभाव में रखते हुए दोबारा समान अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। यदि मामला समान तथ्यों पर तथा उसे किसी अन्य अपराध के लिए उपधारा 1 के तहत अन्य आरोप के लिए अभियोजित किया जा रहा हो। धारा 221 के तहत अथवा उस अपराध के लिए जिसके लिए उसे उपधारा 2 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया गया हो। अतः यह देखा जा सकता है कि धारा 300 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता संविधान के अनुच्छेद 20 (2) से ज्यादा व्यापक है। जहां अनुच्छेद 20 (2) मात्र यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार अभियोजित या दण्डित नहीं किया जा सकता हो वहां धारा 300 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता का कथन है कि किसी भी व्यक्ति को समान अपराध के लिए अथवा भिन्न अपराध के लिए भी जो समान तथ्यों पर आधारित हो दोबारा अभियोजित या दण्डित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान मामले में अपराध भिन्न हैं परंतु तथ्य समान है। अतः धारा 300 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू होती है। परिणामतः अभियुक्त का धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोजन धारा 300 (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वर्जित है।

अपील स्वीकार की जाती है तथा उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है।

अपील स्वीकार की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।